



राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
GOVT. POLYTECHNIC KHAGARIA (BIHAR)

WALK IN INTERVIEW: RESULT

ADV No. GPK/03/2024

पद: – अतिथि व्याख्याता

संकाय– कम्प्यूटर साइंस

S. No.	Name	Father's Name	Remarks
1.	SNEH KRISHNA	NAKUL RAM	Provisionally Selected
2.	RITURAJ	CHANDESHWARI YADAV	Provisionally Selected
3.	PANKAJ KUMAR	ARVIND THAKUR	Provisionally Selected
4.	MD ZAHIRUL HAQUE	MD. ZIAUDDIN ANSARI	Waitlisted
5.	MD WARIS ANSARI	MD. WASIM AKRAM	Waitlisted
6.	GAURAV KUMAR	ANIL KUMAR	Waitlisted

पद: – अतिथि प्रयोगशाला सहायक

संकाय– कम्प्यूटर साइंस

1.	SUJIT KUMAR	KESHARI SUMAN	Provisionally Selected
2.	JUHI KUMARI	SACHCHIDANAND KUMAR	Provisionally Selected

पद: – अतिथि व्याख्याता

संकाय– वैद्युतिकी अभियंत्रण

1.	RISHIDEV KUMAR	DEVNANDAN YADAV	Provisionally Selected
2.	ABHISHEK KUMAR	NAGESHWAR PRASAD	Waitlisted
3.	AVIST ANAND	BIRENDRA NARAYAN JHA	Waitlisted
4.	SNEHA KUMARI	HARI NANDAN YADAV	Waitlisted
5.	SATYAM	RATAN KUMAR SAH	Waitlisted

पद: – अतिथि व्याख्याता

संकाय– असैनिक अभियंत्रण

1.	ADARSH KUMAR SINHA	SHYAM NARAYAN SINHA	Provisionally Selected
2.	RUSTAM KUMAR ANJAN	RABINDRA KUMAR SINGH	Waitlisted
3.	SAROJ KUMAR	YOGENDRA BAITHA	Waitlisted
4.	SHARMISTHA DAS	SAJAL KUMAR DAS	Waitlisted
5.	KAUSHAL KUMAR BHARTI	PARMESHVAR SAH	Waitlisted
6.	ROSHAN KUMAR	ARVIND KUMAR SAH	Waitlisted
7.	AMISHA PATEL	MANOJ KUMAR SINGH	Waitlisted
8.	NITISH KUMAR	SACHCHIDA NAND DEO	Waitlisted
9.	AKANKSHA SINGH	BISHNU SINGH	Waitlisted

पद: – अतिथि प्रयोगशाला सहायक

संकाय– रसायन

1.	KUMAR ANMOL	RAVINDRA KUMAR SAH	Provisionally Selected
----	-------------	--------------------	------------------------

महत्वपूर्ण निर्देश: –

- अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना मूल दस्तावेजों के साथ संस्थान में दिनांक 01.08.2024 तक उपस्थित हो अन्यथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् ही अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को कार्यानुमति दी जा सकती है।
- कार्यानुमति की शर्तों को शपथपत्र (Affidavit) के साथ जमा करना अनिवार्य है।

24/07/24

Sandeep Kumar
24/07/2024

24/07/24

24/07/24

Sanjeew

प्राचार्य

24/07/2024

राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया



राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
GOVT. POLYTECHNIC KHAGARIA (BIHAR)

ADV No. GPK/03/2024

यह कार्यानुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जायेगी: –

1. अतिथि व्याख्याताओं/प्रयोगशाला सहायकों को प्रत्येक संकाय/विषय में आवश्यकतानुसार आवंटित विषय के लिए वर्ग रूटीन के अनुसार वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला का कार्य कराना होगा।
2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 3016, दिनांक 02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक वर्ग कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं के लिए रू0 1400/- (चौदह सौ रुपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम रू0 45000/- (पैंतालिस हजार रुपये) मात्र तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायकों के लिए रू0 800/- (आठ सौ रुपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम रू0 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र होगी।
3. यह आदेश अंशकालीक (वर्ग कार्य आधारित) होने के कारण मानदेय के अलावा किसी प्रकार का अन्य भुगतान/कटौती (आयकर को छोड़कर) नहीं की जायेगी।
4. वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य के अलावा प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य संस्थानिक कार्यों का भी संपादन संतोषप्रद रूप से करना आपेक्षित है। इन कार्यों का मानदेय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार का पत्रांक- 1440, दिनांक 20.06.2017 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार गणना कर निर्धारित की जाएगी परन्तु मानदेय की राशि अधिकतम मानदेय की राशि से ज्यादा नहीं होगी।
5. यह कार्यानुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था होगी तथा भविष्य में स्थायीकरण/नियमितीकरण आदि हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. अतिथि व्याख्याता तथा अतिथि प्रयोगशाला सहायकों की सेवाएँ असंतोषप्रद पाए जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. विज्ञापित पद एक वैकल्पिक/कार्यकारी व्यवस्था के तहत है। विभाग द्वारा नियमित/संविदा व्याख्याता/प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ती होने पर इन पदों के विरुद्ध दी जाने वाली कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. यह कार्यानुमति दिनांक 31.05.2025 तक के लिए निर्गत की जायेगी। संतोषप्रद कार्य तथा छात्रों के Feedback के आधार पर अगले सत्र के लिए कार्यानुमति दी जा सकती है।
9. अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के कार्यानुमति आदेश रद्द की जा सकती है।

Sanjeev

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया